In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 147 /VIII/19-04(Vividh)/2015 T.C-II. Dehradun Dated 08 Febuary, 2019 for general information.

Uttarakhand Government
Section of Labour,
No. 147 /VIII/19-04(Vividh)/2015 T.C-II
Dehradun Dated 08 Febuary, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by the section 6 and 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttar Pradesh Factory Rules, 1950 (as applicable to the State of Uttarakhand) in the context of State of Uttarakhand:-

The Uttarakhand Factories (Amendment) Rules, 2019

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Factories (Amendment) Rules, 2019

(2) It shall come into force at once.

Amendment of subrule(1), (1)(b), (2), (3) of Rule 3

2. In existing sub rule (1), (1) (b), (2), (3) of rule 3 of the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950 (as applicable to the state of Uttarakhand) (Here in after referred as principal rules) set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing Rule**	**Column-2** **Rule hereby substituted**
Rule 3(1) No site shall be used for the location of a factory and no building on such site or in a factory shall be constructed, extended or taken into use as a factory or part of a factory unless previous permission in writing is obtained from the State Government or the Chief Inspector. Application for such permission shall be made to the Chief Inspector through the Inspector of the region concerned in the prescribed form No.1 which shall be accompanied by the following documents:	**Rule 3(1)** No site shall be used for the location of a factory and no building on such site or in a factory shall be constructed, extended or taken into use as a factory or part of a factory unless previous permission is obtained from the State Government or the Chief Inspector. Application for such written permission shall be made to the Chief Inspector in the prescribed form No.1 which shall be accompanied by the following documents:
(b) Plans in triplicate drawn to scale showing-	**(b)** Plans drawn to scale showing-
(2) If the Chief Inspector is satisfied that the plans are in consonance with requirements of the	**(2)** If the Chief Inspector is satisfied that the plans are in consonance with requirements

Act he shall, subject to such conditions as he may specify, approve them by signing and returning to the applicant one copy of each plan or he may call for such other particulars as he may require so as to enable him to accord such approval.

(3) No manufacturing process shall begin or carried on in any building, or part of a building until a certificate of stability of the building, or part of building in Form No. 2 signed by a person possessing the qualifications prescribed in sub-rule (4) has been delivered to Chief Inspector through the Inspector of Factories of the region concerned and accepted by him. No extended portion of any factory shall be used as a part of the factory any time after the extension nor any plant or machinery shall be added in any factory, nor brought into use any time after such addition until a certificate in respect of such extension or plan has been delivered to the Chief Inspector through the Inspector of factories of the region concerned and accepted by the Chief Inspector of Factories.

of the Act he shall, subject to such conditions as specified in the Act, approve them or he may call for such other particulars as he may require so as to enable him to accord such approval.

(3) No manufacturing process shall begin or carried on in any building, or part of a building until a certificate of stability of the building, or part of building in Form No. 2 signed by a person possessing the qualifications prescribed in sub-rule (4) has been delivered to Chief Inspector and accepted by him. No extended portion of any factory shall be used as a part of the factory any time after the extension nor any plant or machinery shall be added in any factory, nor brought into use any time after such addition until such extension or scheme is approved by chief Inspector for that factory or for its special area.

Amendment of sub rule (2) of Rule-7

3. In existing sub rule (2) rule 7 of the principal rule, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1
Existing Rule

Rule 7. Registration and grant of licence- (2) Every licence granted or renewed under these rules shall remain in force until December 31 of the year for which the licence is granted or renewed.

Column-2
Rule hereby substituted

Rule 7. Registration and grant of Licence- 2. Every Licence granted or renewed under this chapter shall remain valid or be in force for a minimum period of one year to a maximum period of 10 years as applicable..

Amendment of Rule-9

4. In existing rule 9 of the principal rule, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1
Existing Rule

Column-2
Rule hereby substituted

Rule 9 (1) Except in cases covered by sub-rule (3) of Rule 13, the license of a factory may be renewed by the Inspector for Ten calendar years at a time, except the factories carrying on hazardous processes or covered under U.P. Factories (Control of Industrial Major Accident Hazards) Rules, 1996 which may be renewed for every calendar year at a time, on payment of requisite fee specified in the Schedule under Rule 7.

Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule(2) the license shall be renewed only on payment of a fifty percent in excess of the fee ordinarily payable for the renewal of the license:

Provided further that the State Government may by general or special order extend the time for presentation of application for renewal of a license.

(2) Every application for the renewal of license shall be sent in Form 4-B in triplicate so as to reach the office of the concerned officer on or before thirty first day of October and if the application is so made, the premises shall be held to the duly licensed until such date as the Inspector renews the license.

Rule-9 (1) Except in cases covered by sub-rule (3) of Rule 13, the license of a factory may be renewed by the concerned Inspector/ sub inspector up to Ten calendar years at a time on payment of requisite fee specified in the Schedule under Rule 7 subject to below conditions

In case of renewal, requisite fee will be 10 times of fees applicable in the year of application.

(i) For General category Factories may be renewed for such a period provided inspection reports by department or audit report by third party auditors recognized as such by the Chief Inspector is submitted online in the department once in two years.

(ii) For 2cb and MAH categories Factories may be renewed for such a period provided inspection reports by department or audit report by third party auditors recognized as such by the Chief Inspector is submitted online in the department once in a year.

Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule(2) the license shall be renewed only on payment of a 50% in excess of the fee ordinarily payable for the renewal of the license:

Provided further that the State Government may by general or special order extend the time for presentation of application for renewal of a license.

(2) Every application for the renewal of license shall be submitted online in Form 4-B so as to reach the office of the concerned officer on or By the 31st October of the year concerned and if the application is so made, then the factory premises shall be held to be duly licensed till the date upto which application is renewed.

(Harbansh Singh Chugh)
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन,
श्रम विभाग,
संख्याः 147 /VIII/19-04(विविध)/2015- टी॰सी॰-II
देहरादून, 08 फरवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 (सं॰ 63, 1948) की धारा 6 तथा 112 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के संदर्भ में अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

नियम 3 के उपनियम (1), (1)(ख), (2), (3) का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के वर्तमान नियम– 3 के उपनियम (1), (1)(ख), (2), (3) जो नीचे स्तम्भ– 1 में उल्लिखित है, के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 3(1) किसी कारखाने और ऐसे स्थल को भवन के स्थल के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा या किसी कारखाने का सन्निर्माण, विस्तार या उसका प्रयोग किसी कारखाने या उसके किसी भाग के लिए तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक से उसकी पुर्वानुमति लिखित रूप में प्राप्त न कर ली गयी हो। ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए मुख्य निरीक्षक को प्रार्थना पत्र उस क्षेत्र के निरीक्षक के माध्यम से प्रपत्र सं॰–1 पर प्रस्तुत की जानी होगी, जिसके साथ निम्न अभिलेख संलग्न होंगे:	**नियम 3(1)** किसी कारखाने और ऐसे स्थल को भवन के स्थल के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा या किसी कारखाने का सन्निर्माण, विस्तार या उसका प्रयोग किसी कारखाने या उसके किसी भाग के लिए तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक से उसकी लिखित पूर्वानुमति प्राप्त न कर ली गयी हो। ऐसी लिखित अनुमति प्राप्त करने के लिए मुख्य निरीक्षक को प्रार्थना पत्र प्रपत्र सं॰–1 पर प्रस्तुत की जानी होगी, जिसके साथ निम्न अभिलेख संलग्न होंगे:
(1)(ख) मानचित्र तीन प्रतियों में निम्न को दर्शाते हुए बनाया जायेगा।	**(1)(ख)** मानचित्र निम्न को दर्शाते हुए बनाया जायेगा।
(2) यदि मुख्य निरीक्षक आश्वस्त हों कि योजनाएं अधिनियम की मांग के अनुरूप है, तो ऐसी स्थिति	**(2)** यदि मुख्य निरीक्षक आश्वस्त हो कि योजनाएं अधिनियम की मांग के अनुरूप है, तो

में जैसा कि अधिनियम में वर्गीकृत है, अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत करेगा और प्रत्येक योजना की एक प्रति आवेदक को वापस करेगा या फिर आवेदक को उसे यथा मांग ऐसी स्वीकृति अन्य विशिष्टता के लिए उसे स्वीकृति के अनुरूप पूर्ण करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

(3) कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया किसी कारखाने या उसके एक हिस्से में तब तक प्रारम्भ नहीं की जा सकेगी जब तक मुख्य निरीक्षक को निरीक्षक के माध्यम से, जो उस क्षेत्र भवन या उसके हिस्से के स्थायित्व का प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रपत्र–2 हस्ताक्षरित हो, जो उप नियम 4 में दी गयी योग्यता धारण करता हो, द्वारा नहीं दे दिया जाता है। कारखाने का कोई भी विस्तारित हिस्सा, कारखाने के विस्तारीकरण के बाद, किसी समय, कारखाने के हिस्से के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही योजना, मशीनरी किसी फैक्ट्री में जोड़ी जायेगी और ना ही किसी समय प्रयोग में लायी जायेगी, जब तक कि ऐसे विस्तार या योजना को मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के माध्यम से उस कारखाने या उसके क्षेत्र विशेष के लिए स्वीकार किया जायेगा।

नियम–7 के उपनियम (2) का संशोधन

स्तम्भ–1

वर्तमान नियम

नियम 7. लाईसेंस पंजीकरण एवं अनुदानः–

(2) लाईसेन्स का अनुदान एवं नवीनीकरण हर वर्ष के 31 दिसम्बर तक मान्य होगा।

नियम–9 का संशोधन

स्तम्भ–1

वर्तमान नियम

नियम 9 (1) सिवाय ऐसी दशा में तब कि यह नियम 13 के उप नियम (3) द्वारा आच्छादित हो,

ऐसी स्थिति में जैसा कि अधिनियम में वर्गीकृत है, अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत करेगा या फिर आवेदक को उसे यथा मांग ऐसी स्वीकृति अन्य विशिष्टता के लिए उसे स्वीकृति के अनुरूप पूर्ण करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

(3) कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया किसी कारखाने या उसके एक हिस्से में तब तक प्रारम्भ नहीं की जा सकेगी जब तक मुख्य निरीक्षक को उस क्षेत्र भवन या उसके हिस्से के स्थायित्व का प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रपत्र–2 हस्ताक्षरित हो, जो उप नियम 4 में दी गयी योग्यता धारण करता हो, द्वारा नहीं दे दिया जाता है। कारखाने का कोई भी विस्तारित हिस्सा, कारखाने के विस्तारीकरण के बाद, किसी समय, कारखाने के हिस्से के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही योजना, मशीनरी किसी फैक्ट्री में जोड़ी जायेगी और ना ही किसी समय प्रयोग में लायी जायेगी, जब तक कि ऐसे विस्तार या योजना को मुख्य निरीक्षक द्वारा उस कारखाने या उसके क्षेत्र विशेष के लिए स्वीकार किया जायेगा।

3. मूल नियमावली के वर्तमान नियम 7 के उपनियम (2) जो नीचे स्तम्भ–1 में उल्लिखित है, के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम 7. लाईसेंस पंजीकरण एवं अनुदानः–

(2) लाईसेन्स का अनुदान एवं नवीनीकरण इस अध्याय के अन्तर्गत न्यूनतम 01 वर्ष या अधिकतम् 10 वर्ष के लिये मान्य होगा।

4. मूल नियमावली के वर्तमान नियम 9 जो नीचे स्तम्भ–1 में उल्लिखित है, के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिपादित नियम

नियम 9 (1) सिवाय ऐसी दशा में तब कि यह नियम 13 के उप नियम (3) द्वारा आच्छादित

कारखाने के अनुज्ञापत्र को निरीक्षक द्वारा 10 (दस वर्षों) के लिए खतरनाक प्रक्रिया वाले तथा उ0प्र0 कारखाना (औद्योगिक मुख्य दुर्घटना हैजार्डस नियन्त्रण) नियमावली, 1996 के अन्तर्गत हों के सिवाय कारखानों को नवीनीकृत किया जायेगा। अति खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों का नवीनीकरण प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक बार नियम–7 के अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित फीस भुगतान करने पर किया जायेगा।

परन्तुक यदि उपनियम (2) में निर्धारित समय के अन्तर्गत नवीनीकरण का प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं होता है, तो अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति हेतु देय सामान्य शुल्क के 25% अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश से अनुज्ञप्ति के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के समय को बढ़ा सकती है।

(2) अनुज्ञप्ति पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक प्रार्थनापत्र प्रपत्र 4–B में 03 प्रतियों में 31.10.2016 से पूर्व संबंधित कार्यालय में भेजा जायेगा। यदि प्रार्थना पत्र इस प्रकार कर दिया जाता है तो कारखाना परिसर को उस तिथि तक अनुज्ञापित माना जायेगा, जिस तिथि को अनुज्ञप्ति पत्र को नवीनीकरण किया जाता है।

हो, कारखाने के अनुज्ञापत्र को संबंधित निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा 10 (दस) वर्षों के लिए नियम–7 के अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित फीस भुगतान करने पर निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए किया जायेगा।

नवीनीकरण की स्थिति में अपेक्षित शुःल्क आवेदन के वर्ष में दिये जाने वाले शुःल्क का 10 गुना होगा।

(एक) सामान्य श्रेणी के कारखानों का नवीनीकरण इस अवधि के लिए किया जा सकता है यदि वे प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट या मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित तीसरे पक्ष की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट को विभाग में ऑनलाइन प्रस्तुत करते हैं।

(दो) 2cb तथा अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों का नवीनीकरण इस अवधि के लिए किया जा सकता है, यदि वे प्रत्येक वर्ष के अन्तराल पर विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट या मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित तीसरे पक्ष की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट को विभाग में ऑनलाइन प्रस्तुत करते हैं।

परन्तुक यदि उपनियम (2) में निर्धारित समय के अन्तर्गत नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति हेतु देय सामान्य शुल्क के 50% अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर किया जायेगा। परन्तु यह कि राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश से अनुज्ञप्ति के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय को बढ़ा सकती है।

(2) अनुज्ञप्ति पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक प्रार्थना पत्र प्रपत्र 4–B में ऑनलाईन के माध्यम से संबंधित वर्ष के 31 अक्टूबर तक या उससे पूर्व संबंधित कार्यालय में भेजा जायेगा। यदि प्रार्थना पत्र इस प्रकार कर दिया जाता है तो कारखाना परिसर को उस तिथि तक अनुज्ञापित माना जायेगा, जिस तिथि को अनुज्ञप्ति पत्र को नवीनीकरण किया जाता है।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

UO Labour P.B

संख्याः– 147 (1) / VIII / 19-04(विविध) / 2015- टी॰सी॰-II, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
7. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त उप श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
अपर सचिव।

UO Labour P.B